झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा | पंचम (बजट) सत्र
संख्या–13 | शुक्रवार, दिनांक–13 मार्च, 2026 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 04.45 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

(सदन के आरम्भ होते ही पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा पेट्रोल–डीजल एवं गैस की किल्लत के विषय पर नोंकझोंक एवं शोरगुल तथा व्याप्त अव्यवस्था के बीच माननीय अध्यक्ष महोदय के हस्तक्षेप के उपरांत सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।)

1.प्रश्नकालः–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–18)

(क) उत्तरित कुल–03

क्रम सं०–106, अ०सू०–24	श्री राजेश कच्छप, (दिनांक–27.02.2026 से स्थगित।)	स०वि०स०,
क्रम सं०–178, अ०सू०–52	श्री अमित कुमार यादव,	स०वि०स०,
क्रम सं०–179, अ०सू०–29	श्री प्रदीप प्रसाद,	स०वि०स०।

(ख) स्थगित मात्र–01

क्रम सं०–180, अ०सू०–50	श्री सरयू राय,	स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल–14,

क्रम सं०–181 से क्रम सं०–194 तक।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–36)

(क) उत्तरित कुल–02

क्रम सं०–579,	श्री सुदीप गुड़िया,	स०वि०स०,
क्रम सं०–581,	श्री भूषण बड़ा,	स०वि०स०।

(ख) अपृष्ठ मात्र–01

क्रम सं०–580,	श्री मनोज कुमार यादव,	स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल–33,

क्रम संख्या–582 से क्रम सं०–614 तक।

2.शून्यकालः–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री रोशनलाल चौधरी,
श्री आलोक कुमार चौरसिया,
श्री अरूप चटर्जी,
श्री शत्रुध्न महतो,
श्री समीर कुमार मोहंती,
श्री कुमार उज्ज्वल,
श्री अनन्त प्रताप देव,
श्री नरेश प्रसाद सिंह,
श्री राज सिन्हा,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्री प्रदीप प्रसाद,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्रीमती मंजु कुमारी,
मो० ताजुद्दीन,
श्री राम सूर्या मुण्डा,
श्री संजीव सरदार,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री जनार्दन पासवान,
श्री भूषण तिर्की,
श्री सुरेश कुमार बैठा,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्रीमती ममता देवी,
श्री सुदीप गुड़िया,
श्री दशरथ गागराई।

3.प्रथम पाली की सूचना:–

माननीय सदस्या, श्रीमती रागिनी सिंह ने सूचना के माध्यम से आग्रह किया कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन, कि अस्पतालों में ईलाजरत व्यक्तियों की मृत्यु के उपरांत उनके शव को पैसे के कारण नहीं रोका जाएगा, के बावजूद झरिया के अस्पताल में एक शव को उनके परिजनों को सिर्फ बीस हजार रूपये के कारण रोक दिया गया। इस विषय पर सरकार संज्ञान ले।

4.संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य:–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक–10.03.2026 को उनके द्वारा माननीय सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण एवं पूर्व सांसदों को सहकारी समिति के द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे ज़मीन की रजिस्ट्री हेतु आवश्यक पोर्टल को तीन दिनों के अंदर खुलवाये जाने सम्बन्धी आवश्वासन दिया गया था। परन्तु, इस पोर्टल के अब तक नहीं खुलने के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक सदन के समक्ष स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना वक्तव्य रखा।

5.आसन से सूचना:–

आसन द्वारा अवगत कराया कि दर्शक दीर्घा से नेतरहाट आवासीय विद्यालय के छात्र–छात्रा सभा की कार्यवाही देख रहे हैं जिनके उज्ज्वल भविष्य हेतु पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएँ प्रेषित की जाती है।

पुनः आसन द्वारा सूचित किया गया कि कल दिनांक–14.03.2026, शनिवार को सभा की कार्यवाही 10.00 बजे पूर्वा० से प्रारम्भ होगी जिसके आरम्भिक एक घंटे में केवल लम्बित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को लिये जाएँगे।

6.वित्तीय कार्य:–

आसन द्वारा पुकारे जाने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) के

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चमरा लिण्डा द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 31,88,21,84,000/-(इकतीस अरब, अठ्‌ठासी करोड़, इक्कीस लाख, चौरासी हजार) रूपये से अनधिक राशि की माँगें प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव द्वारा इस माँग से सम्बन्धित कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

7.वित्तीय कार्य(क्रमांक--6 से जारी):--

आसन द्वारा पुकारे जाने पर अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) के अनुदान की माँग पर वाद--विवाद में माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव द्वारा चर्चा प्रारम्भ किया गया जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया:--

श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन,
श्रीमती पूर्णिमा साहू,
डॉ० रामेश्वर उराँव,
श्री नरेश प्रसाद सिंह,

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया।)

श्री चन्द्रदेव महतो,
श्री जनार्दन पासवान,
श्री जयराम कुमार महतो,
मो० ताजुद्दीन,

(इस अवसर पर सदन की सहमति से सभा की कार्यवाही समाप्ति तक समय विस्तारित किया गया।)

श्रीमती मंजु कुमारी,

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी।

वाद--विवाद के उपरांत माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चमरा लिण्डा द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) की माँग पर सभा में सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

तदुपरांत माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ तथा सभा द्वारा माँग स्वीकृत हुई।

नोट:--कोष्ठक में अंकित टिप्पणी को दिनांक--12.03.2026 के दैनिक विवरणिका के प्रथम पाली की कार्यवाही में समाहित समझा जाय।

(माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा के द्वारा प्रस्तुत कार्य--स्थगन सूचना कि, सभी कार्यों को रोककर वर्तमान राज्य सरकार के धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के अनुरूप क्रय न होने सहित अन्य विषयों पर द्वितीय पाली एवं अन्य कार्य दिवस में चर्चा सम्भव होने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किया गया।)

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक--14.03.2026 के 10.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक--13 मार्च, 2026 ई०।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।